मजबूरी | रसोई गैस का संकट कर रहा घर लौटने को मजबूर

यूपी, बिहार से लौट रहे प्रवासी, ट्रेनों में बढ़ी भीड़

जबलपुर, नवभारत। यूपी बिहार से जबलपुर होकर आगे महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और गुजरात की ओर जाने वाली ट्रेनों में इन दोनों काफी भीड़ देखी जा रही है। त्यौहारों का सीजन खत्म हो जाने के बाद भी स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ डेली रनिंग ट्रेनों में लगातार वेटिंग बनी हुई है। इसके पीछे का कारण है रसोई गैस।

बिहार से महाराष्ट्र लौट रहे एक प्रवासी मजदूर से जब नवभारत ने बात की तो सामने आया कि रोज कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग पर दोहरी मार पड़ रही है। किल्लत के कारण रसोई गैस काफी महंगी मिल रही है। परेशानी ज्यादा बढ़ी तो इन लोगों ने घर लौटने का मन बना लिया। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती।

रेल टिकट लेने के समय बिचौलिये भी इनसे एक टिकट पर 200 रुपये अधिक वसूल रहे है। शनिवार को जबलपुर जंक्शन के प्लेटफार्म पर दीक्षाभूमि एक्सप्रेस से उतरे बिहार निवासी निवासी सुखदेव और राजू ने नवभारत को अपनी पीड़ा बताई। कहा कि वे दानापुर में गार्ड की नौकरी करते थे लेकिन, गैस संकट ने बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

ट्रेनों में लंबी वेटिंग, टिकट नहीं हो रही कन्फर्म

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, वर्तमान में बिहार की ट्रेनों में बर्थ की मांग 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वहां से मुंबई, बेंगलुरू, जयपुर, गोंदिया, एलटीटी, बांद्रा, सूरत, अहमदाबाद आदि की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। मालूम हो कि यूपी, बिहार, बंगाल से महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेने जबलपुर होकर गुजरती है। जबलपुर से होकर गुजरने वाली ताप्ती गंगा, मुंबई मेल, गंगा कावेरी, दीक्षाभूमि, महानगरी एवं पवन एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। इन ट्रेनों के जेनरल बोगी में भी भीड़ अधिक हो रही है। इन ट्रेनों में जैसे-तैसे प्रवासी घर लौट रहे हैं। शनिवार को जबलपुर पहुंची इन ट्रेनों में प्रवासियों की भीड़ सामान्य से काफी अधिक रही। वहीं, संघमित्रा एक्सप्रेस, ज्ञानगंगा एक्सप्रेस में भी प्रवासी लौट रहे हैं। इन ट्रेनों में 15 अप्रैल तक लंबी वेटिंग लिस्ट है। साथ ही तत्काल में भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है।

बदमाशी चमकाने सरेराह चलाई गोलियां

रील हुई वायरल, पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत मरघटाई के पास सड़क किनारे खड़े होकर गुंडई चमकाने सरेराह पिस्टल से हवाई फायर कर बदमाशों ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दहशत फैलाई। जिसके बाद पुलिस दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पर पहले से हत्या के प्रयास और दूसरे पर अवैध वसूली के मामले दर्ज हैं।

माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि कल एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में सत्यम होम्स माढ़ोताल निवासी रितिक जायसवाल 27 वर्ष और कचनार सिटी विजय नगर निवासी प्रथम सिंह राजपूत 19 वर्ष सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट पीते नजर आ रहे थे। इसी दौरान रितिक जायसवाल ने अवैध पिस्टल से हवाई फायर किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

बिना लाइसेंस के लहरा रहे थे हथियार, जब्बार ने दी थी पिस्टल

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रितिक जायसवाल के शस्त्र लाइसेंस की जांच की, जिसमें पाया गया कि उसके पास पिस्टल या रिवॉल्वर का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी रितिक ने कबूला कि उसने यह पिस्टल करीब 3-4 महीने पहले हनुमानताल निवासी जब्बार से ली थी। पुलिस अब हथियार की बरामदगी के लिए आरोपियों को रिमांड पर ले रही है। मौके से पुलिस ने एक आईफोन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड

पकड़े गए दोनों आरोपी पुराने अपराधी हैं। प्रथम सिंह राजपूत के खिलाफ पूर्व में अवैध वसूली और मारपीट के 3 मामले दर्ज हैं। रितिक जायसवाल के खिलाफ हत्या के प्रयास का गंभीर प्रकरण पहले से दर्ज है।

बरकतउल्ला विवि के कुलगुरु व कुलसचिव से जवाब तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से पूछा है कि याचिकाकर्ता का मामला लंबित है तो वेतन देना क्यों बंद कर दिया गया। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने विवि के कुलगुरु व कुलसचिव को इस संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल वाले सप्ताह में होगी। भोपाल निवासी शैलेश तांबेकर की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने नियमितिकरण के लिए याचिका दायर की थी। फिलहाल उसे जून 2025 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। बताया गया कि विवि में कुल 560 नियमित पद हैं, जिनमें से 418 शासन से स्वीकृत हैं। शेष नियमित को विवि अपने स्रोत से भुगतान करता है। याचिकाकर्ता के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी राय दी थी कि उन्हें नियमित करें। इसके बाद राज्यपाल ने भी लीगल ओपीनियन के अनुसार निर्णय लेने की अनुशंसा की थी। इसी बीच विवि ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी, लेकिन बाद में वो आदेश निरस्त कर दिया। दलील दी गई कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 23 लोगों को नियमित किया गया। याचिकाकर्ता के समक्ष यह शर्त रख दी कि यदि वह याचिका वापस लेता है तो उसके मामले में विचार किया जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि जून 2025 से याचिकाकर्ता का वेतन रोक दिया गया है, इसलिए अंतरिम आवेदन पेश किया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

गड़ा धन का लालच देकर पिता-पुत्र को लगाया 60 लाख का चूना

डॉक्टर के क्लीनिक में मरीज बन पहुंचे ठग ने बिछाया जाल

सोना बताकर थमाया पीतल, क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। राइट टाउन निवासी एक डॉक्टर और उनके बेटे को शातिर ठगों ने अपनी जालसाजी का शिकार बनाते हुए करीब 60 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को गरीब बताकर गड़ा हुआ सोना कम कीमत पर बेचने का झांसा देकर पिता को 50 लाख तो पुत्र को 10 लाख का चूना लगा दिया। मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर ए.के. त्रिवेदी पिता स्व. अरूण कुमार त्रिवेदी निवासी राइट टाउन का क्लीनिक है जहां करीब दो महीने पहले सोनू उर्फ वीरेंद्र प्रजापति नाम का व्यक्ति इलाज कराने क्लिनिक आया था। 15 दिन बाद दोबारा आने पर उसने डॉक्टर का विश्वास जीता और बताया कि उसे कहीं से भारी मात्रा में गड़ा हुआ सोना मिला है। वह गरीब है और इसे बाजार में नहीं बेच सकता, इसलिए वह कम कीमत पर डॉक्टर को यह सोना देने को तैयार है।

बेटे के साथ भी हुई ठगी का खुला राज, जांच में निकला पीतल

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब 1 अप्रैल 2026 को डॉक्टर को पता चला कि उन्हीं लोगों ने उनके बेटे अनंत कुमार के साथ भी सोना बेचने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी की है। शक होने पर डॉक्टर ने जब खरीदे हुए सोने की दोबारा जांच कराई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनार ने बताया कि वह पूरा सोना असल में पीतल के टुकड़े हैं। ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित डॉक्टर ने अब क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने सोनू उर्फ वीरेंद्र प्रजापति, पन्ना लाल, रमादेवी और धर्मेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

असली सिक्का दे जीता भरोसा कहा हम गरीब है, भला होगा

सोनू ने डॉक्टर को सैंपल के तौर पर एक सोने का सिक्का दिया। डॉक्टर ने जब अपने सुनार से इसकी जांच कराई, तो सिक्का 75 प्रतीशत शुद्ध सोने का निकला। इसके बाद सोनू ने अपने पूरे परिवार को इस साजिश में शामिल किया। वह अपनी कथित मां रमादेवी, पिता पन्ना लाल, भाई धर्मेंद्र और एक छोटी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। महिला ने रोते हुए डॉक्टर से कहा कि साहब, हम गरीब लोग हैं, आप यह सोना ले लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा।

50 लाख से भरा बैग लेकर फरार हुए ठग

सोनू ने दावा किया कि उसके पास 7-8 किलो सोना है, जिसे वह 15 लाख रुपये प्रति किलो के हिसाब से देगा। सौदा तय होने के बाद 5 मार्च 2026 को सोनू और उसका पिता पन्ना लाल डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को 5 किलो सोना भरा बैग दिया और बदले में 50 लाख रुपये नकद ले लिए। बाकी के 25 लाख रुपये एक महीने बाद देना तय हुआ।

नियम तोड़ने वालों पर चला उड़नदस्ते का चाबुक

एक महीने में 795 वाहनों पर कार्रवाई, वसूले 41 .84 लाख

जबलपुर। संभागीय परिवहन सुरक्षा उड़नदस्ता (जबलपुर) ने मार्च माह में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर परिवहन नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वालों पर कार्रवाई करते हुए कुल 41 लाख 84 हजार का भारी-भरकम राजस्व वसूल किया है। परिवहन विभाग द्वारा यह कार्रवाई मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत की गई। जांच टीम ने सड़कों पर उतरकर वाहनों के फिटनेस, परमिट, टैक्स, बीमा और ओवरलोडिंग जैसे वैधानिक दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच की। अभियान के दौरान कुल 795 वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की गई। 91 वाहनों के चालकों से 5,500 बकाया कर और 3,35,000 शमन शुल्क सहित कुल 3.40 लाख की मौके पर वसूली हुई। नियमों का उल्लंघन करने वाले 704 वाहनों पर 38.49 लाख का ऑनलाइन जुर्माना लिया गया। विभाग के खजाने में कुल 41,84,000 का राजस्व जमा हुआ। संभागीय उड़नदस्ता टीम के अनुसार, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य केवल राजस्व वसूलना या दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि वाहन मालिकों और चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान निरंतर जारी रहेंगे। इस राजस्व वसूली अभियान में सम्भागीय उड़न दस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक इम्तियाज़ हुसैन, आशुतोष मोधे, पीयूष मरावी, अविनाश जायसवाल, उमाशंकर उपाध्याय, अशोक खापर्डे, सारंगधर महाले, वन्दना परतेती, निमिषा तिवारी शामिल थे।

मौसम ने ली करवट, बादलों का डेरा, हुई बूंदाबांदी

जबलपुर। सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। शनिवार को सुबह से मौसम का मिजाज बदला रहा। बादलों का डेरा रहा। बूंदाबांदी भी हुई। दिन भर सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा। मौसम की अचानक बदली रंगत से गर्मी से हल्की राहत रही। मौसम विभाग ने चौबीस घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आद्रता 63 और शाम को 53 प्रतिशत दर्ज की गई। दक्षिण-पश्चिमी हवाएं 5 किमी की रफ्तार से चली। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में मध्य पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 3.1 से 9.6 किमी की ऊँचाई के बीच अवस्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, पंजाब और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊँचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, छत्तीसगढ़ और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर सक्रिय है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

दफ्तरों के गलियारे

...तो फिर मरीजों की जांचें कौन करेगा?

जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ.. हुआ यूं कि नगर निगम संभागीय अधिकारी द्वारा मेडिकल अस्पताल के बाबुओं को छोड़कर मरीजों की खून-पेशाब व अन्य जांच करने वाले लैब टैक्नीशियनों की जनगणना 2027 के कार्य में ड्यूटी लगाने का फरमान मेडिकल डीन से चर्चा किए बगैर जारी कर दिया गया। फरमान जारी तो हुआ लेकिन इसके बाद इस फरमान के बगावत के स्वर मेडिकल में फूट पड़े। जहां एक ओर करीब 30 लैब टैक्नीशियनों ने इस फरमान को तुगलकी फरमान बताया तो वहीं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ सोमवार को इस आदेश के खिलाफ आंदोलन करने वाला है। सवाल ये खड़े हुए कि जब मरीजों की जांच करने वाले जनगणना 2027 में ड्यूटी देंगे तो अस्पताल में मरीजों की जांच कौन करेगा। क्या वे मेडिकल के बाबू मरीजों की जांच करेंगे क्या नगर निगम प्रशासन करेगा या फिर और कोई..

जब माइक देख घबराए मुखिया

हाल ही में एक कार्यक्रम में हुआ कुछ ऐसा कि बड़े साहब छुक छुक गाड़ी की उपलब्धियों को गिना रहे थे। उसी बीच रेल के अधिकारियों ने संबंधित चैनलों को विस्तार से जानकारी लेने बुलाया। जिसे देख कर बड़े साहब घबरा गए। जिसपर चुप चाप पीछे बैठे छोटे साहब लोगो ने चुटकी लेते हुए कहा की बड़े साहब अभी अभी आसन संभाले है। इनको अभी माइक संभालने की आदत नहीं है। परंतु चैनल के सामने अच्छा-अच्छा तो बोल ही देते है। धीरे-धीरे साहब को भी आदत पड़ जायेगी।

सलाखों के पीछे मच्छर मार रहे ठग का छलका दर्द

ठगी करने वाले के साथ जब ठगी हो जाए, तो समझो कुदरत का इंसाफ शुरू हो गया है! दरअसल एक शातिर ठग ने सोचा था कि 10 लाख रुपये की चढ़ावे वाली डील के बाद सब ठीक हो जायेगा लेकिन नसीब देखिए, पैसे भी गए और अब जेल की सलाखों के पीछे मच्छर भी मार रहा है। ठग ने काले कोट वाले साहब के सामने अपना दुखड़ा ऐसे सुनाया जैसे किसी मासूम के साथ डकैती हो गई हो। बोला साहब, निपटारे के लिए 10 लाख दिए थे, पर धोखा मिला! जब यह चर्चा थाने पहुँची, तो साहब ने बोला हमें तो ऐसे किसी लेन-देन की भनक तक नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि पुलिस ने उसकी उन फाइलों से भी धूल झाड़ना शुरू कर दी जो लंबे समय से कोने में पड़ी थीं। दांव उल्टा पड़ा और बात दूर तक पहुंचने के पहले ही दब गई ।

विवेक दुबे, धनंजय श्रीवास्तव, अजहर खान

नियमानुसार प्रदान करें सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जाये। हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुशंसा पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं 60 दिनों में करते हुए निर्णय लें। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि निर्णय से याचिकाकर्ता को अवगत करवाये, जिससे उसे दूसरी बार न्यायालय की शरण नहीं लेना पडे।

याचिकाकर्ता डॉ. ओमप्रकाश पांडे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह वर्तमान में सिविल अस्पताल मैहर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। वह साल 2012 से निरंतर सेवारत हैं। उसने नीट परीक्षा 2025 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है परंतु उसे बोनस अंक का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 28 जून 2019 को जारी किये गये आदेश के अनुसार तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रावधानों के तहत ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत सेवारत चिकित्सकों को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 30 प्रतिशत अंक का सेवारत कोटा प्रदान किया जायेगा। बोनस अंक प्रदान करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना द्वारा विधिवत अनुशंसा की गयी थी। इसके बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाभ प्रदान नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की।

रीवा कलेक्टर का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

सहकारी समिति को ब्लैकलिस्ट करने का मामला

मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि किसी भी संस्था को बिना सुनवाई का अवसर दिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। जस्टिस एसएन भट्ट की एकलपीठ ने उक्त मत के साथ रीवा कलेक्टर का वह आदेश निरस्त कर दिया है, जिसमें एक सहकारी समिति को ब्लैक लिस्ट किया गया था। न्यायालय ने मामले में स्पष्ट किया है कि पहले याचिकाकर्ता को शोकॉज नोटिस दिया जाए। फिर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। इसके बाद ही कोई भी कार्रवाई की जाए। दरअसल यह मामला रघुराजनगर तहसील स्थित सेवा सहकारी समिति के मैनेजर सतीश पांडे की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि धान खरीदी में कथित गड़बड़ी के आरोप में कलेक्टर ने बिना सुनवाई के ही समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इससे समिति को आगामी अनाज खरीदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आवेदक की ओर से तर्क दिया कि धान खरीदी से होने वाली आय ही समिति सदस्यों की मुख्य आजीविका है। अब ब्लैकलिस्टिंग की एक तरफा कार्रवाई के बाद सदस्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जायेगा। बिना सुनवाई का मौका दिए की गई यह कार्रवाई अवैधानिक और मनमानी है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने माना कि 6 नवंबर 2025 के ब्लैकलिस्टिंग के आदेश से पहले याचिकाकर्ता को न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाउन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57